

I/28520/2024

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर  
305002



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-  
2695202

ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या : **E10400 MCDR-MiFLOFE/2/2024-AJM-IBM\_RO\_AJM**दिनांक : **28.03.2024**

प्रेषित : श्री मनोज केडिया, खान मालिक,  
आर/0-वेंकेश्वर टॉवर, सेंट्रल स्पाइन,

विध्याधरनगर जिला-जयपुर (राजस्थान), Email: [kediaminerals@rediffmail.com](mailto:kediaminerals@rediffmail.com)

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Luhakana Iron Ore Mine over an area 4.45 Ha.in Jaipur district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Ajay Kumar Jatolia, AME on 23/02/2024 in presence of Mine Officials.

Rule No.	Nature of violation observed in detail
Rule 11(1)	The mining operations are carried out in violation of following provisions of approved Review of Mining Plan (Approved on 16.03.2022): - <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1500 Cum quantity of Overburden has been produced during the year 2022-23 against the proposal of 22950 Cum quantity of Overburden.</li> <li>➤ 145 m proposed Retaining wall during the year 2022-23 has not been done on proposed location.</li> <li>➤ 145 m proposed Garland drain during the year 2022-23 has not been done on proposed location.</li> </ul>

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

- (क ) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती है ।  
(ख ) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है ।  
(ग ) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है ।

03. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पैंतालीस ) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें ।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा )

उप खान नियंत्रक(कार्यालय प्रभारी)  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल )
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर ।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, जयपुर ।

उप खान नियंत्रक(कार्यालय प्रभारी)  
भारतीय खान ब्यूरो